

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

शासनादेश संख्या-1/570148/2024 File No-68-5099/23/2024-5 () दिनांक 26.05.2024 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय उ090 लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0बी0/1637/2024-25 दिनांक 30-05-2024 तथा शासनादेश संख्या- 1/775757/2024 File No-68-5099/23/2024-28-10-2024 के द्वारा जन्मद में उच्चवीकृत करारवा गांधी बासिया विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) एकेडमिक स्टाफ तहलता हॉस्टल एवं केवल हॉस्टल विद्यालयों हेतु शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के घयन/पदस्थापन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। जन्मद वाराणसी में उच्चवीकृत करारवा गांधी बासिया विद्यालयों हेतु शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के घयन हेतु जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन को क्रम में निम्न मानदंड पर कार्य करने को हुसुक वाराणसी में दिनांक 16-06-2026 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। अतिरिक्त शिथि के परभाव अथवा साधारण ढाढ़ से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण एवं योग्यता निम्नवत् है-

क्र. सं.	पद	विषय	पदों की सं.	आरक्षण श्रेणी					शैक्षिक अर्हता	वरीयता अर्हता	मासिक मानदेय ₹0
				GEN.	EWS	OBC	SC	ST			
1	प्रधानाचार्य		2	1	0	0	1	0	प्रशिक्षित एम०ए० (हिन्दी/अंग्रेजी) अथवा एम०ए०ए०सी० (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर साइंस) किसी विश्वविद्यालय या संस्था या एरो विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की, जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रवधानाचार्य के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबंध यह भी है कि यह 30 वर्ष से कम आयु की न हो। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इष्टतमोडिफ्ट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ-साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कमर 15 या 20 वर्ष की हो।		30000
2	पी.जी.टी.	हिन्दी	2	1	0	0	1	0	प्रशिक्षित	22000	
3	पी.जी.टी.	अंग्रेजी	2	1	0	0	1	0	प्रशिक्षित	22000	
4	पी.जी.टी.	गणित	2	0	1	0	0	0	प्रशिक्षित	22000	
5	पी.जी.टी.	जीव विज्ञान	2	1	0	0	1	0	प्रशिक्षित	22000	
6	पी.जी.टी.	रसायन विज्ञान	2	1	0	0	1	0	प्रशिक्षित	22000	
7	पी.जी.टी.	भौतिक विज्ञान	2	1	0	1	0	0	प्रशिक्षित	22000	
8	पी.जी.टी.	कम्प्यूटर विज्ञान	2	1	0	1	0	0	प्रशिक्षित	22000	

वाराणसी

वाराणसी कार्यालय 22000
 No-88-5099/23/2024-
 14/2024-23 दिनांक
 14/06/2024 एवं केवल इलेक्ट्रॉनिक
 कस्तूरबा गांधी बालिका
 कार्य के अंतर्गत जो इच्छुक
 शिक्षा शिक्षा अधिकारी,
 से प्राप्त आवेदन पत्रों

वाराणसी कार्यालय 22000
 No-88-5099/23/2024-
 14/2024-23 दिनांक
 14/06/2024 एवं केवल इलेक्ट्रॉनिक
 कस्तूरबा गांधी बालिका
 कार्य के अंतर्गत जो इच्छुक
 शिक्षा शिक्षा अधिकारी,
 से प्राप्त आवेदन पत्रों

क्र.सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
9	लेब अडिस्टेंट	6 3 0 1 2 0
10	कार्यालय अधीक्षक/लिपिक	2 1 0 0 1 0
11	केयर टेकर	2 1 0 0 1 0
12	चपररासी	3 3 0 0 0 0
13	चौकीदार	4 2 0 1 1 0
14	रसोईया	8 3 1 2 2 0

नोट- प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पुश्तक को पढ़ना होगा। परीक्षा की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा सम्बंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्या द्वारा ही किया जायेगा।

1. प्रधानाचार्या के लिये न्यूनतम आयु 01.04.2026 को 30 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
2. पी0जी0टी0 शिक्षिका, कम्प्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, कार्यालय अधीक्षक/लिपिक, लेब अडिस्टेंट, चपररासी, चौकीदार तथा रसोईया के पद हेतु आयु 01 अप्रैल, 2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी।
3. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु आयु 60 वर्ष होगी।
4. आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार।
5. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अचमता के अल्पतम 05 वर्षों के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होंगे।
6. अस्थिी के चयन के लिये भारत के अंको का निर्धारण प्रकाशित सूचना के अनुसार किया जायेगा।

क्र.सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	
2	इंटरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 10 / 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 10 / 100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 20 / 100
5	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 20 / 100

7. चपररासी, चौकीदार एवं सहायक रसोईया के चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
8. शैक्षिक स्टाफ यथा प्राधान्याय, पी0जी0टी0 शिक्षिका, कम्प्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, लेब अडिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक/ लिपिक पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
9. सर्वोच्च गुणांकधारी अर्ह अस्थिी को काउन्सिलिंग हेतु बुलाया जायेगा। परास्नातक, स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। काउन्सिलिंग/साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
10. अस्थिी को समस्त मूल अंक पत्र/प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. यदि चयनित अस्थिी की सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें 01 माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गंभीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सविदा समाप्त करते हुये सम्बंधित के विरुद्ध प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जायेगी।
12. केयर टेकर, चपररासी, चौकीदार तथा सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा इन्हे विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा अथवा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है।
13. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त समस्त प्रकार के पदों पर महिला अस्थिियों का ही चयन किया जायेगा।
14. आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है। चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र (अधिकतम 11 माह 29 दिन) हेतु होगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी सत्र के लिए सेवा अनुबंध किया जायेगा।
15. उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञापित एवं आवेदन पत्र के प्रारूप/दिशा निर्देशों को जनपद वाराणसी की NIC Website <https://varanasi.nic.in/> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
16. लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस पद/विषय/जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित करें।
17. अस्थिी द्वारा 01 से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा।
18. आवेदन पत्र के साथ अपनी 02 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना स्पष्ट नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे जिसपर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें।
19. आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित अंतिम तिथि 18-06-2026 को सायं 05 बजे तक स्वीकार किये जायेगे। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
20. अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर वाले, प्रारूप से भिन्न, अचूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन समिति का निर्णय ही मान्य होगा।
21. विज्ञापित में किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार एवं किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति को होगा। जिस हेतु कोई भी याद मान्य नहीं होगा।
22. चौकीदार/चपररासी/सहायक रसोईया के पद पर आवेदन करने वाले अस्थिी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने चाहिए।

(अनुराग श्रीवास्तव)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 वाराणसी